प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 430/2019

आदेश सुरक्षित किया गया :17/03/2025

आदेश पारित किया गया :21/03/2025

1 – राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस (पंजीयन क्रमांक 22, 1948), एक व्यवसाय संघ जिसका मुख्यालय बी/21–22, इंदिरा विहार, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है। द्वारा महासचिव, डॉ. दीपक जायसवाल पिता स्वर्गीय श्री रामस्वरूप जायप्रश्न, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी विद्या नगर, अपोलो फार्मेसी के सामने, बिलासपुर, पुलिस थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2 – डॉ. दीपक जायसवाल पिता स्वर्गीय श्री रामस्वरूप जायसवाल उम्र लगभग 57 वर्ष, महासचिव, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस, निवासी विद्या नगर, अपोलो फार्मेसी, बिलासपुर, पुलिस थाना– तारबहार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ .....उत्तरवादी क्रमांक 2

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – भागवत प्रसाद दुबे पिता श्री राम कुमार दुबे उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, चिरमिरी, महासचिव, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर महासंघ, महासंघ कार्यालय, चिरमिरी, पोस्ट– चिरमिरी, कोरिया, छत्तीसगढ़। .....जैसा कि न्यायालय के समक्ष दावा किया गया है.....अपीलार्थी

2 – द रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ छत्तीसगढ़, श्रम आयुक्त कार्यालय, ब्लॉक–3, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। ..... उत्तरवादी क्रमांक 1

.....उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए :श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए :श्री संजय पटेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए :सुश्री प्रज्ञा पांडे, उप–शासकीय अधिवक्ता

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल

सी.ए.वी. आदेश

1. इस याचिका के आधार पर, याचिकाकर्ता दिनांक 18.01.2019 के आदेश की वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिसके अधीन विद्वान न्यायाधीश, राज्य औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ने प्रकरण क्रमांक 02/आईटीयू अधिनियम/आई/2018 में व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (जिसे आगे "अधिनियम, 1926" कहा जाएगा) की धारा 11(कक) के अधीन उत्तरवादी क्रमांक 1– भागवत प्रसाद दुबे द्वारा प्रस्तुत अपील (अनुलग्नक पी/15) को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है, तथा उत्तरवादी क्रमांक 2– रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 के आदेश (अनुलग्नक पी–14) को रद्द कर प्रकरण को नए सिरे से निर्णय के लिए उक्त प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि दो पंजीकृत व्यवसाय संघ जिन्हें 'राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ' (संक्षेप में "आरसीडब्ल्यूएफ") और 'राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ' (संक्षेप में "आरकेकेएमएस") के रूप में जाना जाता है, ने अपने प्रबंध निदेशकों के माध्यम से, अधिनियम, 1926 की धारा 24 और 25 के अधीन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, छत्तीसगढ़, रायपुर के समक्ष दिनांक 27.08.2003 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी/2) प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त संघों को 'राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस' (संक्षेप में "आरसीएमसी") में समामेलित करने की बात कही गई है। रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ ने उक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात उसे स्वीकार कर लिया है तथा संघ का नाम, जो कि "राष्ट्रीय कोलियरी वर्कर फेडरेशन" के रूप में पंजीकृत है, को दिनांक 29.08.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) के अधीन "राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर कांग्रेस" के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उक्त प्राधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश पर उत्तरवादी क्रमांक 1– भगवत प्रसाद दुबे और आरसीडब्ल्यूएफ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया गया था, जिसे डब्ल्यूपी. क्रमांक 3393/2005 (अनुलग्नक पी/4) के रूप में पंजीकृत किया गया था और दिनांक 12.10.2017 के आदेश (अनुलग्नक पी/5) के अधीन सभी प्रभावित पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के पश्चात दिनांक 29.08.2003 के उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश जारी किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2017 को जारी निर्देशों (अनुलग्नक पी/5) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ ने अपने आदेश (अनुलग्नक पी/14) दिनांक 24.03.2018 के माध्यम से दिनांक 29.08.2003 के उक्त आदेश पर पुनः विचार करने के लिए उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसके अधीन याचिकाकर्ताओं के संघ अर्थात् आरसीएमसी के नाम पर पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

4. पंजीयक, व्यवसाय संघ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश (अनुलग्नक पी/14), जिसमें दिनांक 29.08.2003 को पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने से इंकार किया गया था, को उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिनियम, 1926 की धारा 11 (कक) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सदस्य

न्यायाधीश, राज्य औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ बिलासपुर के समक्ष अपील में प्रश्नगत किया गया था, तथा दिनांक 03.05.2018 के आदेश (अनुलग्नक पी/16) के अधीन इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था, तथा सूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था, तथा उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात, दिनांक 03.05.2018 को पारित कथित आदेश को, याचिकाकर्ताओं के संघ–आरसीएमसी द्वारा उक्त अपील की स्थिरता के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया था, जहां इसे रिट याचिका (सी) क्रमांक 1640/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया था, तथा दिनांक 19.06.2018 के आदेश (अनुलग्नक पी/18) के अधीन, याचिकाकर्ता संघ को उक्त अपील की स्थिरता के संबंध में उक्त न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा सदस्य न्यायाधीश, राज्य औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

5. उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील को औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2017 के अपने आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था और प्रकरण को रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ को वापस भेज दिया गया था, जबकि उक्त प्राधिकारी अर्थात रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 (अनुलग्नक पी/14) के आदेश को अपास्त किया गया था, जिन्होंने 29.08.2003 को दिए गए याचिकाकर्ताओं के संघ के पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करने से इनकार कर दिया था, इस पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम, 1926 की धारा 11 के अधीन निर्धारित प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ ने याचिकाकर्ताओं के संघ के नाम से दिनांक 29.08.2003 को पारित पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करने से इनकार कर दिया है, इसलिए उक्त आदेश (अनुलग्नक पी/14) के खिलाफ प्रस्तुत अपील राज्य औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ बिलासपुर के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं थी, और इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

8. इस याचिका में निर्धारण हेतु जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिनियम, 1926 की धारा 11 (एए) के अधीन प्रस्तुत अपील, जिसमें रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 (अनुलग्नक पी/14) के आदेश पर प्रश्न उठाया गया है, जिसमें दिनांक 29.08.2003 को किए गए पंजीयन प्रमाणपत्र को निरस्त करने से इनकार किया गया था, को पोषणीय माना जा सकता है या नहीं?

9. अधिनियम, 1926 की धारा 11 के अंतर्गत निहित प्रावधान इस विवाद्यक पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत हैं, जो निम्नानुसार हैः–

"11. . अपील– (1) किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से रजिस्ट्रार के इन्कार करने से, या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रत्याहृत या रद्द किए जाने से व्यथित व्यक्ति ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, –(क) जहां कि व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी प्रेसिडेन्सी नगर की सीमाओं 2*** के अन्दर स्थित है वहां उच्च न्यायालय में; अथवा 3[(कक) जहां कि प्रधान कार्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आता है वहां, यथास्थिति, उस न्यायालय या अधिकरण में;] (ख) जहां कि वह प्रधान कार्यालय किसी अन्य क्षेत्र में स्थित है वहां ऐसे न्यायालय में, जो आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के अपर न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश के न्यायालय से अवर न हो और जिसे 4[समुचित सरकार] उस क्षेत्र के लिए इस निमित्त नियुक्त करे, अपील कर सकेगा।

(2) अपील न्यायालय अपील को खारिज कर सकेगा या रजिस्ट्रार को यह निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगा कि वह संघ को रजिस्ट्रीकृत करे और धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दे या, यथास्थिति, प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण या रद्दकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा, और रजिस्ट्रार ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

(3) अपील न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए यावत्शक्य उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका, और उसे वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय वह अनुसरण करता है या उसे होती है, और यह भी निदेश दे सकेगा कि अपील का पूरा खर्चा या उसका कोई भाग किसके द्वारा संदत्त किया जाएगा, और ऐसे खर्चे उसी प्रकार वसूल किए जाएंगे मानो वे उक्त संहिता के अधीन किसी वाद में अधिनिर्णीत किए गए हों।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किसी न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने की दशा में, व्यथित व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा और उच्च न्यायालय को ऐसी अपील के प्रयोजन के लिए उपधाराओं (2) और (3) के अधीन अपील न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और उन उपधाराओं के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।]

10. उपर्युक्त प्रावधान के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि रजिस्ट्रार के निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है:–

(i) अधिनियम, 1926 की धारा 7 और 8 के अधीन व्यवसाय संघ को पंजीकृत करने से इनकार करना;

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ii) अधिनियम, 1926 की धारा 10 के अधीन पारित पंजीयन प्रमाण पत्र को वापस लेना या रद्द करना।

11. उपर्युक्त प्रावधान के अधीन अपील केवल उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध होगी, क्योंकि उक्त प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पंजीयन प्रमाणपत्र को वापस लेना या निरस्त करना" संबंधित विवाद्यक को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और उक्त अभिव्यक्ति के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि अपील केवल तभी होगी जब ऊपर उल्लिखित आदेश पारित किए जाएं।

12. वर्तमान प्रकरण में, चूंकि दिनांक 29.08.2003 को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग करने वाले आवेदन को रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो याचिकाकर्ताओं के संघ के नाम पर जारी किया गया था, इसलिए, अधिनियम, 1926 की धारा 11 के अधीन की गई उक्त अभिव्यक्ति के मद्देनजर, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा की गई अपील को विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अधिनियम 1926 की धारा 11 के अधीन अपील, जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल व्यवसाय संघ के पंजीयन से इनकार करने के आदेश के खिलाफ या उक्त प्रावधान में उल्लिखित पंजीयन प्रमाण पत्र को वापस लेने या निरस्त करने के आदेश के खिलाफ ही पोषणीय किया सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के मद्देनजर, यद्यपि औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2003 को जारी किए गए अपने आदेश के माध्यम से पंजीयन प्रमाण पत्र पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश जारी किया गया था, लेकिन चूंकि उक्त आवेदन को रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ द्वारा दिनांक 24.03.2018 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी/14) के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, इसलिए रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, जिन्होंने न तो याचिकाकर्ताओं के व्यवसाय संघ के पंजीयन से इनकार किया है, न ही उसके पक्ष में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को अधिनियम, 1926 की धारा 10 के अधीन निरस्त या वापस लिया गया था, इसलिए अधिनियम, 1926 की धारा 11 के अधीन प्रस्तुत अपील को विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, सदस्य न्यायाधीश, राज्य औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ बिलासपुर द्वारा पारित आदेश, जिसमें रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 के आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण को उक्त प्राधिकरण को वापस भेजते हुए, दिनांक 29.08.2003 को किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र पर पुनर्विचार के संबंध में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है, इसलिए, यह अधिकार क्षेत्र के बाहर होगा।

14. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और सदस्य न्यायाधीश, राज्य औद्योगिक न्यायालय, बिलासपुर पीठ द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/आईटीयू अधिनियम/आई/2018 में पारित दिनांक 18.01.2019 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(संजय एस. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur